श्री अहलकार जी इस नम्बर व तारीख का इन्द्राज रजिस्टर में जारी करें

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी–दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 13/2025 (जीसीएमएस सं.–2025/13) दायर दिनांक 02.04.2025

राज्य सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी अनूपगढ़ ——प्रार्थी

बनाम

नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण लाल निवासी दुर्गा मन्दिर के सामने जैतसर (रामदेव गैस लाईट) ——अप्रार्थी

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित–

1. श्री नितिन पुन्यानी, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांकः– 07/10/2025

1. यह इस्तगासा प्रार्थी श्री रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। इस्तगासा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 25.09.2024 को रामसिंह मीना, जिला रसद अधिकारी अधिकारी अनूपगढ़ जांच हेतु अप्रार्थी की दुकान पर पहुंचे। मौके पर नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्ण लाल मौके पर उपस्थिति मिला तथा स्वयं को दुकान का मालिक बताया। दुकान की जांच में पाया कि इस दुकान पर गैस रिफलिंग का व्यवसायिक कार्य किया जाता है तथा इस कार्य हेतु दुकान पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 पैट्रोमेक्स व एक बांसुरी मय रेगुलेटर/पाईप रखे पाए गए। तीनो गैस सिलेण्डर भारत गैस कम्पनी के पाये गये। श्री नरेन्द्र कुमार ने बताया कि उसके द्वारा प्रतिदिन 4–5 कारो में गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता है, तथा उसका मूल्य वसूल किया जाता है। श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा उक्त तीनो घरेलु गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किये है, पूछने का स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण संबंधित कोई भी वैद्य दस्तावेज श्री नरेन्द्र कुमार के पास नहीं मिला। फर्म रामदेव गैस लाईट जैसर पर पाये गये 03 घरेलू गैस सिलेण्डर 02 पैट्रोमेक्स व एक बांसुरी मय रेगुलेटर/पाईप को जरिये फर्द जब्ती जब्त किये गये एवं भगवती गैस एजेन्सी जैतसर के कार्मिक मदन वर्मा पत्र रामप्रताप वर्मा जाति कुम्हार निवासी चक 9 बीजीडी (बी) तहसील रायसिंहनगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द मौका जब्ती मौका नजरी नक्शा एवं सुपर्दुगीनामा अलग से तैयार किया गया। नरेन्द्र कुमार द्वारा अवैध तरीके से गैस रिफलिंग का व्यवसायिक कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग), 4 (1)(क) (ग) (2), 6, 7 (1) (ग) एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (मोटर वाहनों में उपयोग का विनियमन) आदेश, 2001 की धारा 3 (1) (2)(3)(5) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (ए) के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्तशुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 पैट्रोमेक्स व एक बांसुरी मय रेगुलेटर/पाईप को राजसात करने का आदेश फरमावे।
2. इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किय गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नितिन पुन्यानी हाजिर आये। बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी से किसी भी प्रकार के घरेलू गैस रिफलिंग का कोई उपकरण बरामद नहीं हुआ ओर ना ही किसी अधिकारी के जांच के दौरान प्रार्थी द्वारा कोई रिफलिंग की जा रही थी। यदि वास्तव में रिफलिंग की जा रही होती तो मौका पर प्रार्थी से कब्जा से रिफलिंग का उपकरण अवश्य ही बरामद होता तथा कार में गैस सलेण्डर भरने का भी कोई उपकरण नहीं था तथा ना ही ऐसा कोई उपकरण जब्त किया गया है। प्रार्थी की दुकान में 2 पेट्रोमेक्श थे जरूर परन्तु वो अनावश्यक व कबाड़ बने हुए थे। प्रार्थी की दुकान पर किसी प्रकार के गैस रिफलिंग का कार्य नहीं किया गया है। यदि गैस रिफलिंग का कार्य किया जाता तो मौका पर प्रार्थी से कब्जा से रिफलिंग का उपकरण अवश्य ही बरामद होता तथा प्रार्थी के पास कोई अन्य अवैध सलेण्डर नहीं थे। प्रार्थी की दुकान के आस पास के घरेलू गैस कनेवशन का वाहन आता है। प्रार्थी की दुकान पर घरेलू चुल्हे ... आदि की रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है जो घरेलू गैस सलेण्डर पाये गये है जो प्रार्थी ... दुकान ... बाहर थे तथा वो सलेण्डर अन्य किसी ग्राहक के थे जिसमें गैस सलेण्डर को ग्राहक ... । जो कि गैस लिकेज होने

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * सूरतगढ़ (राज0) *

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

के कारण गैस सलेण्डर में वाशल लगाने के लिए आ रहा था। वाशल का प्रयोग गैस की लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा धारा 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम का कोई उल्लधन नही किया गया है। अतः कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे। श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

4. हमने पत्रावली का गहतना अवलोकन किया गया। अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 25.9.2024 को मौके पर तैयार किये गये फर्द मौका एवं फर्द जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है जिसमें यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से कारो में रिफलिंग का कार्य करता है। अतः यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अवैध तरीके से गैस रिफलिंग का व्यवसायिक कृत्य कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3 (1) (ख) (ग), 4 (1)(क) (ग) (2), 6, 7 (1) (ग) एवं द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (मोटर वाहनों में उपयोग का विनियमन) आदेश, 2001 की धारा 3 (1) (2)(3)(5) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः मौके पर जब्तशुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर, 02 पैट्रोमेक्स व एक बांसुरी मय रेगुलेटर/पाईप को राजसात करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ/आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सूरतगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट * सूरतगढ़ (राज0) *

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2025.11.28 12:36:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner